दूरभाष 02982–230228 राजस्थान सरकार ईमेल secedubarmer@gmail.com

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) शिक्षा विभाग बाड़मेर

-: कार्यालय आदेश :-

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र कमांक शिविरा–माध्य /संस्था/एफ–1/12102/शाशि ग्रेड–ııı भर्ती/सी.भ./2013–16 दिनांक 02.02.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (तृतीय वेतन श्रृंखला) के पद पर लेवल एल–10 में प्रोवेशनल ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिणार्थी) चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरुप सूची में विवरणांकित आशार्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (तृतीय वेतन श्रृंखला) के पद पर लेवल एल–10 में दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रुप में नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विघालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 12(6) एफडी(नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 23700/– (तेईस हजार सात सौ रुपये) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विघमान वेतन नियत मानदेय के रुप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र कमांक प. 8(1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति व पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक प.17(4) शिक्षा–2/2009 दिनांक 29.03.2016 के पार्ट बी में वर्णित निर्देशों के अनुसार दिनांक 12.02.2018 को आयोजित परामर्श शिविर में उपस्थिति/अनुपस्थित के आधार पर इनके नाम के सामने अंकित विघालय में पदस्थापित किया जाता है।

सबंधित संस्था प्रधान इनकों कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से संपादित करेगें :–

1– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबधित अभ्यर्थी का सबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबधि सदाचरण रिपार्ट एंव सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य हैं। इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

2– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरुप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र सलंग्न निर्धारित प्रारुप में 10/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावें।

3– राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष हैं अतः जिन अभ्यर्थियो द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई हैं उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैघ एंव मान्य पाये जाने के अध्यधीन नियुक्ति दी जा रही हैं। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व सबंधित अभ्यर्थियों से 10/– रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र सलंग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेगें। कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैघ व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एंव उनके विरुद्व कार्यवाही करने सबंधि अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

4– कार्यग्रहण कराने से पूर्व संस्था प्रधान आवेदन पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजो का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। यदि मिलान में कोई विसंगति हो तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें। तथा अभ्यर्थियों से सलंग्न प्रारुप में यह शपथ पत्र लिया जावे की उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एंव दस्तावेज सही हैं। उनके त्रुटिपूर्ण, कूटरचित एंव जाली पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एंव उनके विरुद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।

5– जो अभ्यर्थी बी.पी.ई. (तीन वर्षीय पाठ्यकम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते हैं उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेगें। यदि ऐसे किसी अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं तो उन्हें कार्यग्रहण नही कराया जावें। तथा उसके सबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें।

6– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ सलंग्न खेलकुद प्रमाण पत्र सबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं हैं तो उनके मूल खेल कूद प्रमाण पत्र पर सबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित एवं प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उनकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावें।

2075
12/02/2018

12/2/18

7– अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदको के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नही हैं परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर कार्यग्रहण नही कराया जावें तथा उसके सबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें उपरोक्तानुसार अन्य पिछडावर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चिता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावें।

8– कार्यग्रहण कराने से पूर्व सबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चिता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करें जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा हैं।

9– कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सबंधी समस्त दस्तावेजो की जांच आवश्यक रुप से कर लेवें।

10– कार्यग्रहण कराने से पूर्व सबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प. 7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एंव गुटखा सेवन नही करने संबधी बचनबद्वता निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 28.02.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवानें की व्यवस्था की जावें एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

कमांक :– जिशिअ/मा/बाड/संस्था–3/18/ 2075 दिनांक :– 12/02/2018

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1– श्रीमान् विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।
2– श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव स्कुल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर।
3– श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4– श्रीमान् सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
5– श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6– श्रीमान् उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग जोधपुर।
7– सबंधित संस्था प्रधान ....।
8– सबंधित श्री/श्रीमति ....।
9– रक्षक पत्रावली।

12/2/18
(श्री ओमप्रकाश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा बाडमेर

दूरभाष 02982–230228 राजस्थान सरकार ईमेल secedubarmer@gmail.com

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) शिक्षा बाड़मेर

क्रमांक :– जिशिअ / माध्य / बाड़ / संस्था–3 / 2017–18 / 2075 दिनांक :– 12/02/2018

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा 2013 के आरक्षित सूची से चयनित अभ्यर्थियों की कांउन्सलिंग दिनांक 12.02.2018 की पदस्थापन सूची

क्र.स.	वरीयता क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	आवेदन पत्र में अंकित स्थायी पता	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	पंचायत समिति
1	R-1303	VIJAY LAXMI TANWAR	MADAN LAL	मकान न. 192 सुभाष कॉलोनी भगत की कोठी जोधपुर	02/07/1991	BC,WE, DV	OBCF	GOVT AADARSH SR. SEC.SCHOOL GOUDA	SEDWA
2	R-136	SHANTANU VIKRAM SINGH	BASANT KUMAR	ग्रा.पो. पयागपुर थाना पयागपुर जिला–बहराईच उ0प्र0	15/07/1985	GE	GEN M	GOVT. AADARASH SR.SEC.SCHOOL, GOHAR KA TALA	DHANAU
3	R-140	MAHESH KUMAR BHADANI	SHIV KUMAR BHADANI	डीडू सिपाहियों का मौहल्ला, सोनगिरी कुए के पास बीकानेर	26/01/1985	GE	GEN M	GOVT.SEC.SCHOOL, SINDHARI CHARNAN	SINDHARI
4	R-141	RATAN SINGH	BHAIRU SINGH	गांव–सरखेजड़ा पो.मोकमपुरा, स्टेशन रानी जिला पाली	01/07/1979	GE	GEN M	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, MITHE KA TALA	DHANAU
5	R-142	MOHAMEED ZAHID	ABDUL MANAN	मौहल्ला सादात मालपुरा जिला टोंक	01/07/1984	GE	GEN M	GOVT.SR.SEC.SCHOOL BHALGAON	SEDWA
6	R-288	HETA RAM	BHURA RAM	विष्णु नगर चावण्डिया तह.खींवसर नागौर	12/07/1976	BC	OBC M	GOVT.SEC.SCHOOL, KHARA MEHECHAN	SINDHARI
7	R-289	SOM DUTT	RAJA RAM	ग्रा.पो. डाबला तह. रायसिंह नगर जिंला श्रीगंगानगर	02/06/1987	BC	OBC M	GOVT.SEN.SEC. SCHOOL LUKHO KA TALA	SINDHARI
8	R-942	NISHANT GUSAR	RAJENDRA KUMAR	चमनपुरा, फतहनगर रोड़ मावली जं. उदयपुर	29/08/1983	SC	SCM	GOVT.A.SR.SEC.SCHOOL, ARTI	SEDWA
9	R-971	PAWAN KUMAR	MAIKOD LAL	मकान न.38 ए(10) ख्योरा नवाबगंज कानपुर नगर उ0प्र0	01/07/1986	SC	SCM	GOVT. AADARASH SR.SEC.SCHOOL, SARUPE KA TALA	DHANAU
10	R-978	LALA RAM BAIRWA	LADU RAM	गांव–उगई पो.भराई, तह. केकड़ी अजमेर	01/03/1975	SC	SCM	GOVT. ADARSH SR.SEC. SCHOOL, GIDA SEDWA	SEDWA

12/2/18

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर